भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.633

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सोलर एडॉप्शन

633. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च सौर क्षमता के बावजूद दक्षिण चेन्नई जैसे घने शहरी तटीय क्षेत्रों में लो रूफटॉप सोलर प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चेन्नई में परिवारों और संस्थानों के लिए रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंतर्गत अनुमोदन और सब्सिडी वितरण में बिलंब के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन वाधाओं को दूर करने के लिए ग्रिड-अपग्रेडेशन या सरलीकृत नेट मीटरिंग का समर्थन करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में शहरी सौर प्रसार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) रूफटॉप सौर (आरटीएस) प्रणालियों की स्थापना के लिए एक मांग आधारित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दक्षिणी चेन्नई को शामिल करने वाले चेन्नई जिले में, दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 6,394 आवेदन प्राप्त हुए, और कुल 5,307 रूफटॉप सौर (आरटीएस) सिस्टम लगाए गए, जिससे 7,357 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने वाले परिवार, संबंधित डिस्कॉम द्वारा स्थापना का निरीक्षण करने और अनुमोदन देने के बाद सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर, सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा होती है, जिसमें सामान्यतः 15 दिन लगते हैं।

तमिलनाडु राज्य में प्रचलित आदेशों के अनुसार, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के अंतर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले परिवारों को नेट-मीटरिंग तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें उत्पादित सौर विद्युत को घर की विद्युत खपत के अनुसार समायोजित किया जाता है, जिससे कुल बिजली बिल में कमी आती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य के शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) की पहुंच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर +50 bps अर्थात वर्तमान के लिए 6% प्रतिवर्ष पर 10 वर्षों की समयावधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

- रेस्को/यूटिलिटी आधारित एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल शामिल किए गए हैं।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
    - पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
    - कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
    - देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
    - राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।
    - क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
    - शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

****